(1)

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट दौसा मुकाम दौसा

.....दिनेश कुमार शर्मा..... बनाम .....सत्येन्द्र सिंह.....

किस्म मुकदमा .....दावा..... नं. .....47/2023..... सन् .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/10/23	वादी द्वारा एड दावा वापस उद्घोषणा, तकाना व स्थायी निषेधाज्ञा अवानी दिनेश कुमार शर्मी बनाम सत्येन्द्र सिंह पेश किया। प्रकरण दर्ज रजि. किया जाने। प्रतिवादीगण को तामील हेतु पेशकृत तलबाना नोटिस जारी कर Rs.AD जारी होकर पत्रावली दिनांक 21/12/2023 को पेश हो।	4126-4147 25.10.23
21/12/23	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उ.। पत्रावली प्रतिवादीगण की तामीली के इन्तजार में दिनांक 22/2/24 को पेश हो।	
22/2/24	आज सायंकाल राजकीय में अवकाश होने से [illegible]। [illegible] की पालना में दिनांक 19/4/24 को पेश हों।	
19/4/24	आज सायंकाल चुनाव ड्यूटी में व्यस्त होने से तारीख दी गई। गत आदेशों की पालना में दिनांक 20/6/24 को पेश हों।	
23/05/24	विपक्ष तरफी सा.पत्र में पत्रावली निमित्त अतीव जरूरी से निरस्त आज न्यायालय में पेश हुई। वादी एवं उ.। वादी द्वारा एड सा.पत्र वापस वापसी लेने के लिये पीछे जाने का पेश किया गया। पत्रावली एवं लिखे सा.पत्र का अवलोकन किया गया। वादी एवं प्रकरण को वापस करना चाहता है। ऐसी स्थिति में पत्रावली में कोई आदेश अभिलेख किये जाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः वादी द्वारा सादर लिखे सा.पत्र स्वीकार किया जाकर वापसी लेखे लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है एवं प्रकरण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नस्ती के का है।	दिनेश

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राजस्थान)